

दिनांक 20.01.2020 (व) सा 3
पेश हो।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
दिल्ली

16-1-20

पुष्पी के प्राठ पत्र पर पत्रावली पेशी
में ली गई पुष्पी एवं व उसके अधिवक्ता
ने निवेदन किया की प्राठ पत्र चलाना नहीं
चाहते हैं पत्रावली का आवलीभन किया
जाया प्राठ पत्र 212 RTI श्वारीज किया
जाता है पत्रावली दारिजल दफतर है।

म. र. व. वि. स. स. स.